पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–07/2017 सा०प्र०...............

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राम शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक।
सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्त्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
कुल सचिव, सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना–15, दिनांक–........................

विषय :– **अनाथालय में रहने वाले/बेसहारा बच्चे जिनके माता–पिता की जाति एवं आवास की जानकारी उपलब्ध नहीं हो, की जाति, आवास एवं आय प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के अधीन ऐसे बेसहारा बच्चे, जो प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य त्रासदी के कारण अनाथ हुए हों, की जाति, आवास एवं आय प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। इस संदर्भ में मामले की समीक्षा की गई तथा विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया।

अतएव भली–भाँति विचारोपरान्त अनाथ/बेसहारा बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं :–

(i) अनाथालय अथवा सदृश्य संस्थाओं में पलने वाले अनाथ/बेसहारा बच्चे को यदि किसी परिवार अथवा दम्पति द्वारा गोद लिया जाता है, तो इस बच्चे की जाति इस परिवार के पुरूष सदस्य के जाति के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी।

(ii) गोद लेने वाले दम्पति के आवासीय पते के आधार पर ऐसे बच्चों का आवासीय प्रमाण–पत्र एवं परिवार के आय के आधार पर आय प्रमाण–पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(iii) अनाथालय अथवा सदृश्य संस्थान में पलने एवं इसी संस्था में व्यस्क हो जाने की स्थिति में इनकी जाति सामान्य कोटि में विनिश्चित की जा सकेगी।

(iv) अनाथालय में आवासित बच्चों को यदि आवास प्रमाण–पत्र की आवश्यकता हो, तो इसे अनाथालय, जिसमें अनाथ बच्चा आवासित हो, का पता अंकित करते हुए निर्गत किया जा सकेगा।

(v) अनाथालय छोड़ चुके व्यस्क सदस्य (गोद लिये जाने वाले बच्चों से भिन्न मामलों में) की जाति सामान्य कोटि में विनिश्चित की जा सकेगी एवं इनके आय एवं आवासीय प्रमाण–पत्र इनके स्वयं के आय एवं यथास्थिति अस्थायी अथवा स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र इनके वर्त्तमान आवास के आधार पर निर्गत किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि संबंधित प्राधिकार इस आधार पर अग्रेतर कार्रवाई करें तथा इस आशय की सूचना अपने अधीनस्थ कार्यालय एवं अधिकारियों को भी संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राम शंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–07/2017 सा0प्र0 7325 / पटना–15, दिनांक 25.8.2020

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेंजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.8.2020

सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM – HINDI LETEER